अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

क्र० 17 जाति के प्रमाण पत्र का फार्म दिनांक 18/12/05

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णाराम -- पुत्र श्री सुराराम निवासी गांव/कस्बा राणीवाड़ा खुर्द जिला जालोर जाति/जन जाति मेघवाल की है, जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति घोषित की गई है।

- संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां (संशोधन आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1976 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वैध संशोधित।
- संविधान (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जन जातियां) और 1960
- संविधान जम्मू व कश्मीर (अनुसूचित जातियां) आदेश 1960
- संविधान दादरा व नगर हवेली (अनुसूचित जातियां) आदेश 1962
- संविधान (पाण्डेचरी) (अनुसूचित जातियां) आदेश 1964
- अनुसूचित जन जातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967
- संविधान (गोवा दमण तथा दिव) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड तथा दिव) अनुसूचित जाति आदेश 1978

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णाराम -- पिता का नाम -- सुराराम ---- निवासी राणीवाड़ा खुर्द जिला जालोर राज्य राजस्थान को -- पटवारी हल्का राणीवाड़ा खुर्द -- के -- दिये गये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति -- मेघवाल जाति -- के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है और श्री कृष्णाराम -- पुत्र श्री -- सुराराम ---- जाति/जन जाति मेघवाल -- के है, जिसे राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति घोषित किया गया है। निर्धारित प्राधिकारी का नाम श्री- देवनारायण ग्राम-सचिव [illegible] द्वारा अपने पत्र संख्या - 17 - दिनांक 18/12/05 के अन्तर्गत जारी किया गया।

स्थान राणीवाड़ा --
राज्य - राजस्थान
दिनांक 18/12/05

हस्ताक्षर पद, मोहर सहित